79

न्यायालय, समाहर्त्ता,–सह–जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0.....से.....

जिला–खगड़िया.....,सा0.....,सन्.....

केस का प्रकारः–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट कर के संबंध में।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख–सहित 3.
01.07.2017	पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3185/सी0आर0 दिनांक 19.06.2017 द्वारा खगड़िया थाना काण्ड संख्या–285/2017 दिनांक 02.05.2017 धारा–30(ए0) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब–375 एम0एल0 इम्पेरियम ब्लु कंपनी का 8 (आठ) बोतल, 180 एम0एल0 का 04 (चार), 200 एम0एल0 का 72 पाउच देशी शराब एवं 200 एम0एल0 का 25(पचीस) पाउच देशी मसालेदार शराब कुल–109 बोतल विदेशी/देशी मसालेदार शराब जप्त किया गया है। जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 02 (दो) बोतल 375 एम0एल0 का एंव 04(चार) 180 एम0एल0 विदेशी शराब जाँच हेतु रसायन परीक्षक विभाग कुम्हरार, बिहार पटना भेजा गया है, तथा 04 पाउच देशी शराब,एवं 04 पाउच देशी मसालेदार शराब को जाँच हेतु उत्पाद अधीक्षक, शेष 375 एम0एल0 का 06 (छः) बोतल, एवं देशी शराब का 68 पाउच देशी मसालेदार शराब का 21 पाउच विदेशी शराब कुल–2.25 लीटर एवं देशी/मसालेदार शराब कुल–17.800 लीटर थाना के मालखाना मे सुरक्षित रखा गया है। 375 एम0एल0 का 06(छः) बोतल, एवं विदेशी, देशी शराब/मसालेदार शराब कुल–20.05 लीटर सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकुल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ जप्ती सूची, अनुपालन पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी संलग्न है। अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि खगड़िया थाना कांड संख्या–285/2017 जप्त विदेशी शराब कुल–20.05 (बीस लीटर, 05 एम0एल0) लीटर को आम जन की रेख में विनष्ट करें तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया, उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित	

समाहर्त्ता, खगड़िया।

समाहर्त्ता, खगड़िया।